



# राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर

हमीरपुर (हि.प्र.) – 177 005 (भारत)

[ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान ]

**NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR**

**HAMIRPUR (H.P.) - 177 005 (INDIA)**

[An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)]

**{OFFICE OF REGISTRAR}**

## **अभिरुचि की अभिव्यक्ति / EXPRESSION OF INTEREST**

No. NIT/HMR/Admin/Health-231/Vol-IV/ 2296-99 Dated: 26/03/25

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, भारत की संसद द्वारा प्रख्यापित एनआईटी अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो लगभग 5,000 छात्रों को इंजीनियरिंग, विज्ञान, वास्तुकला, प्रबंधन और मानविकी में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। एस प्रकार संस्थान छात्रों में ज्ञान का एक व्यापक आधार बनाने और उनमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

National Institute of Technology, Hamirpur, an Institute of National Importance established under the NIT Act, 2007 promulgated by the Parliament of India, offers Bachelors, Masters and Doctoral programmes in Engineering, Sciences, Architecture, Management and Humanities to around 5,000 students and is committed to build a comprehensive foundation of knowledge and enhancing confidence, creativity and innovation in them.

संस्थान अपने 350 नियमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीजीएचएस दरों पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है। तदनुसार, इच्छुक प्रतिष्ठित अस्पताल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

The Institute intends to empanel reputed hospitals for providing medical facilities at CGHS rates to its 350 regular employees and their dependents. Accordingly, interested reputed hospitals may submit their expression of interest within one month of date of publishing of this notification.

कुलसचिव

### **प्रतिलिपि:**

1. निदेशक, एन आई टी हमीरपुर को सूचनार्थी
2. संकाय प्रभारी (संगणक केंद्र) को व्यापक प्रचार के लिए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. अध्यक्ष (IHCC) को सूचनार्थी
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य केंद्र को सूचनार्थी